भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 167482

(प्रारूप-अ)

वर्ष- 2023-24 में लागू की जाने वाली निजीकृत ट्रस्ट फार्मेसी संस्थानों की संबद्धता/ट्रस्ट के आवेदन और संबद्धता प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा प्रपत्र का प्रारूप

हम **अम्बिका शुक्ला** एवं **पूनम शुक्ला** आदि एवं अन्य **मैया विशम्भरनाथ आदर्श चैरीटेबल ट्रस्ट** सरकारपुरवा निम्नलिखित घोषणा करता है कि-

1. यह कि हमारी संबद्धता/ट्रस्ट द्वारा **आदर्श कालेज ऑफ फार्मेसी** ग्राम **ग्राम-गौरा, पोस्ट-कोटिया गवोरी, तहसील-बीसी, जिला-सिद्धार्थनगर, उ0प्र0** संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी संबद्धता/ट्रस्ट के नाम पर ग्राम **ग्राम-गौरा, पोस्ट-कोटिया गवोरी, तहसील-बीसी, जिला-सिद्धार्थनगर, उ0प्र0** में [illegible] कुल रकबा 0.8125 हे0 भूमि है।
3. यह कि हमारी संबद्धता भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि [illegible]
4. यह कि उपरोक्त की गई संबद्धता/ट्रस्ट के नाम प्रस्तावित भूमि की के सापेक्ष [illegible] कुल रकबा 0.8125 हे0 [illegible] डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव संबद्धता/ट्रस्ट [illegible] दिनांक 07.06.2023 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि प्रस्तावित भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि [illegible] के पत्रांक [illegible] में यह संबद्धता/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि पर निर्मित भवनों का फार्मेसी पाठ्यक्रम अन्य इकाइयां नई दिल्ली के नियमों के अनुसार ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

ATTESTED
Sworn & Verified
Before Me
Kartikey Kumar Singh
Lucknow (U.P.) India

Know and Identify the deponent
[illegible] T.I. before me.

8. यह कि इस संस्था में कार्यरत कार्मिकों कार्यालय आदेश इन्टियाज नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं उत्तरोत्तर शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही संचालन में प्रतिबिम्ब प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्यरत कार्यालय आदेश इन्टियाज नई दिल्ली से अनुमोदित एवं उत्तरोत्तर शिक्षा परिषद [illegible] के सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान, विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक [illegible] एवं कार्मिकगण आदि जो कार्यरत कार्यालय आदेश इन्टियाज नई दिल्ली एवं उत्तरोत्तर शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही नियुक्ति किया जायेगा।

11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं अभौतिक संसाधन की पैमाइश सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अन्य संस्थान के पूर्व अन्य किया जायेगा।

12. यह कि सोसाइटी/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। यह कि यदि संस्थान में किसी भी प्रकार अनियमित निर्देशन में मानकानुसार कोई कमी पायी जाती है, तो परिषद की समिति एवं सम्बद्धता समिति द्वारा निर्गत अंतिम आदेश मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई लिखित कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी द्वारा दी गयी जानकारी सत्यता मेरी निजी जानकारी के पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कोई मूलभूत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निलम्बन/समाप्त/जप्त कार्यवाही की जायेगी। ऐसी की गयी लिखित कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

सचिव

अध्यक्ष

ATTESTED
Sworn & Varified
Before Me.
Vertiay Kumar Singh
(Advocate)
Notary
Government of U.P.
[illegible]